



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/FAR/03597  
/2019-2020

पत्रावली संख्या:K-42694 दिनांक:2009-2010

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविनाथ सिंह डिग्री कॉलेज समिति, ग्राम-मानिकपुर, पोस्ट-जैतपुर, तहसील-सदर, जिला-फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 209602, फर्रुखाबाद, 209602 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1016 दिनांक-04/12/2009 को दिनांक-04/12/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1150 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By  
(PRAVIN KUMAR SRIVASTAVA)  
526382C4DD655409891C5D0B07CC2E818EA30850


Date: 14/01/2020 1:03:14 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-14/01/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

## स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति ।
2. संस्था का पता : ग्रा0-मानिकपुर, पो0जैतपुर, तह0 सदर, जिला फर्रुखाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उद्देश्य - 1. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, समाज का बौद्धिक विकास करने हेतु शिक्षात्मक कार्यक्रमों का आयोजन व उनका संचालन करना होगा ।  
2. शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना शिक्षा का प्रचार प्रसार करना शिक्षा के बहुमुखी विकास हेतु हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भाषाओं के माध्यम से माण्टेसरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, जूनior स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज (यू0पी0बोर्ड) कान्वेन्ट स्कूल (सी0बी0एस0सी बोर्ड एवं आई0एस0सी बोर्ड पैटर्न आधारित) कन्या विद्यालय, कन्या महाविद्यालय, महाविद्यालय (बी0ए0, बी0एस0सी0, एम0ए0, एम0एस0सी0, बी0काम0, एम0काम0, बी0एड0, एम0एड0, बी0टी0सी0, बी0पी0एड0 आदि) पुस्तकालय एवं वाचनालयों, एवम् सांस्कृतिक शिक्षा, कलात्मक शिक्षा, प्रोढ़ शिक्षा, संगीत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षण एवम् प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना एवं शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरांत टेक्निकल, डेन्टल एवं मेडिकल इन्स्टीट्यूट्स, औषधीय कालेजों व अस्पतालों, इंजीनियरिंग कालेज (बी0टेक, एम0टेक0, एम0बी0ए0, एम.सी.ए, बी.बी.ए.बी0सी0ए0, आदि) पालीटेक्निक संस्थानों, आदि को खोलना, एवं उनका संचालन प्रबन्ध व व्यवस्था करना ।  
3. पुस्तकालय, वाचनालय, बुक बैंक आदि स्थापित कर उपयोगी ज्ञान का प्रचार व प्रसार एवं शोध कार्य करना तथा निर्धन व मेधावी छात्र/छात्राओं को पुस्तकीय सहायताएँ उपलब्ध कराना ।  
4. प्रतिभावाण छात्र/छात्राओं की प्रतिभाओं का विकास करना तथा उन्हें शिक्षा के अवसरों को उपलब्ध कराना तथा उनके मध्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं, खेलकूद प्रतियोगिताओं, लेखन प्रतियोगिताओं, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना ।  
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के माध्यम से विकास रोजगार एवं शोध कार्यों के अवसरों को सृजित करना उनके लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इतार्य जा रही कल्याणकारी योजनाओं को लेना व चलाना तथा उनका सर्वांगीण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सकरात्मक प्रयास करना ।  
6. महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिए उन्हें शिक्षा द्वारा विकास के अवसर उपलब्ध कराना, विधवा, अशिक्षित, निराश्रित व परितन्त्र्य महिलाओं के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की योजनाओं व कार्यक्रमों को आयोजित कर उनके लिए रोजगार के अवसरों को सृजित करना तथा आम जन के लिए स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करना व संचालन करना तथा चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन करना ।  
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीब व मेधावी छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कौचिंग की व्यवस्था करना, उन्हें परीक्षा के योग्य बनाना ताकि वे उनमें सफल होकर सुयोग्य नागरिक बन सकें ।  
8. निर्धन छात्र/छात्राओं को आर्थिक मदद देकर उन्हें पुस्तकों एवं शिक्षा को आगे पढ़ाने में मदद करना  
9. संस्था उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु \_\_\_\_\_ तागरिकों, संस्थाओं, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं उनके विभागों, अनुभागों वित्त एवं विकास बैंक, निगमों, स्थायी निकायों राज्य समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर्पाट, जौराई, नवाई, सिफसा, राज्य खादी बोर्ड, अखिल भारतीय खादी एवं कानोद्योग आयोग की नीतियों योजनाओं व कार्यक्रमों को अंजित व उनसे योजनाओं एवं कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति प्राप्त करते हुए दान अनुदान रूप आदि प्राप्त करना ।



श्री रविनाथ सिंह  
R.B.S.

R.B.S.

R.B.S.

आर.बी.एस.


Kundli Duni  
A.S. Yadav



## नियमावली

1. संस्था का नाम : श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति ।
2. संस्था का पता : ग्रा0-मानिकपुर, पो0जैतपुर, तह0 सदर, जिला फर्रुखाबाद
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग :
  - वह व्यक्ति जो संस्था के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण विश्वास एवं आस्था रखता हो उम्र से बालिग हो भारतीय नागरिक हो वह संस्था का सदस्य अध्यक्ष की संस्तुति से बनाये जायेगे ।
  - अ. आजीवन सदस्य  
जो व्यक्ति संस्था को 5000/-रु0 नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति प्रदान करने वालों को संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।
  - ब. विशिष्ट सदस्य -  
सरकार द्वारा सम्मानित उपाधि प्राप्त विद्वानों एवं समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा, मताधिकार नहीं होगा, सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेंगे । स्वेच्छा से सहयोग राशि दे सकेंगे ।
  - स. सामान्य सदस्य :  
संस्था को प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर अप्रैल माह में रु0 500/-नगद .  
वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करने वालों को संस्था का सामान्य सदस्य बनाया जायेगा ।

शेष पृष्ठ 2 पर



श्री २५५५  
RMSH  
Kunam Devi  
RBSH

व्यय-प्रतिविधि

10. संस्था के लिए चल अचल सम्पत्ति भूमि आदि पट्टे पर लेना, कय करना किराये पर लेना व आवश्यकता पड़ने पर किराये पर देना बेचना आदि ।

11. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व शासन अथवा अन्य संस्था से अनुदान, ऋण व सहायता प्राप्त करना तथा उपयोग संस्था के कार्यों पर व्यय करना ।


12. संस्था के कार्यक्षेत्र में शासन एवं सरकार की नीतियों के अनुसार महाविद्यालयों कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय विधि संकाय आदि तथा शिक्षा संकाय आदि माध्यमों से महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना सरकार की नीतियों के अनुसार कन्या महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं संचालन करना ।

13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विश्वविद्यालयीय नियमावली के अनुसार महाविद्यालयों के संचालन का प्रबन्ध करना तथा महिला छात्रावास, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय प्रयोगशाला, अनुसंधान केन्द्रों आदि की स्थापना करना व संचालन करना ।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है --

क्र०सं० नाम,	पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्री रविनाथ सिंह	श्री गोपीनाथ सिंह	सिविल लाइन्स, फूस बंगला, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ।	अध्यक्ष	कृषि
2. श्री रामवरन सिंह	श्री शिवराम सिंह	ग्रा.-नेवादा परौची, पो.चचरापुर, हरदोई	उपाध्यक्ष	कृषि
3. श्री अजयपाल सिंह	श्री रविनाथ सिंह	सिविल लाइन्स, फूस बंगला, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ।	प्रबन्धक/सचिव	कृषि
4. श्री गोविन्द यादव	श्री जयनारायण यादव	117/43 एम ब्लॉक, काकादेव, कानपुर	उपप्रबन्धक/उपसचिव	व्यापार
5. श्री राजेश कुमार	श्री शान्ति स्वरूप	ग्रा०-रम्पुरा, पो० सेन्द्रन जेल, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ।	कोषाध्यक्ष	कृषि
6. श्री जगदीश सिंह	श्री मोहर सिंह	ग्रा०-मन्सुखपुरा, पो० वहोसी, कन्नौज	सदस्य	कृषि
7. श्रीमती आरती देवी	श्री श्रीकृष्ण यादव	सिविल लाइन्स, फूस बंगला, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ।	सदस्य	गृहणी
8. श्रीमती कुन्ती देवी	श्री मुन्शी लाल	सिविल लाइन्स, फूस बंगला, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ।	सदस्य	गृहणी
9. श्री अतुल कुमार	श्री हरनाथ सिंह	सिविल लाइन्स, फूस बंगला, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ।	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के आधार पर संस्था को सोसाइटीज रजि० अधिनियम की संख्या 21 सन् 1860 के तहत पंजीकृत कराना चाहते हैं --  
दिनांक--  
हस्ताक्षर--



3/10/20  
R.P. Yadav

R.P. Yadav  
आरती देवी

गोविन्द यादव  
R.P. Yadav

सद्व्यवस्था



## 6. सदस्यता की समाप्ति -

1. मृत्यु होने पर
2. पागल, कोढ़ी या दिवालिया होने पर ।
3. न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर ।
4. नियमिति सदस्यता शुल्क न देने पर ।
5. संस्था विरोधी कार्य करने पर अथवा कोई ऐसा कार्य करने पर जिसके कारण संस्था का मर्यादा भंग हो या उस पर आँच आये ।
6. त्यागपत्र देने व उसके स्वीकार हो जाने पर ।
7. किसी सदस्य के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर ।

उपरोक्त एक या एक से अधिक कारण लागू हो पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है अथवा कार्यकारिणी से हटाया जा सकता है

## 7. संस्था के अंग -

- अ. साधारण सभा ।
- ब. प्रबन्धकारिणी समिति ।

## 8. साधारण सभा -

अ. गठन -

सभी वर्गों के सभी सदस्यों को मिलाकर संस्था की साधारण सभा होगी ।

ब. बैठक - सामान्य व विशेष

साधारण सभा की साल में एक बैठक अनिवार्य रूप बुलाई जायेगी । विशेष साधारण सभा का आयोजन कभी भी अध्यक्ष के अनुमोदन पर अथवा 2/3 सदस्यों की लिखित माँग पर सचिव द्वारा बुलाई जा सकेगी ।

स. सूचना अवधि -

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनाओं को 15 दिन पूर्व व विशेष की 3 दिन पूर्व प्रसारित की जाना अनिवार्य है ।

द. गणपूर्ति -


कुल सदस्यों की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों के लिए कोरम का प्रतिबन्ध होगा, परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत ही रहेंगे ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथियाँ -

संस्था प्रति वर्ष सत्र की समाप्ति पर अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी जिसकी तिथि बहुमत से तय की जायेगी ।

र. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
2. संस्था के वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना ।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन स्वीकार करना ।
4. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों पर पुनर्विचार संशोधन परिवर्तन आदि के निर्देश देना, प्रबन्ध समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनाना ।
5. साधारण सभा सर्वोच्च होगी ।



गोविन्द यादव

R.P. Singh

Syadani  
R.M.S.

AR. Singh  
Kushwaha  
आरती देवी

R.B. Singh





4. किसी विषय पर बराबर मत आने पर अपने विशेष मत प्रयोग करना ।
5. संस्था की उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करना ।
6. प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।

ब. प्रबन्धक/सचिव-


1. संस्था की सम्पत्तियों निधियों, धनराशियों का सुरक्षण एवं संरक्षण करना ।
2. संस्था की चल अचल सम्पत्ति विषयक अनुबंधों दस्तावेजों व शर्तनामों बैनामों आदि पर संस्था के प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना ।
3. संस्था की चल अचल सम्पत्ति को बेचे की स्थिति में निर्णय लेना व हस्ताक्षर करना ।
4. समिति व संचालित संस्थाओं के मद से प्राप्त होने वाले दान, अनुदान, बैंक ऋण व अन्य प्रकार के सहयोग व सहायता प्राप्त करना ।
5. वैतनिक कर्मचारियों का वेतन निर्धारण वेतन वितरण का दायित्व का निर्वाहन करना ।
6. संस्था के बिलों बाउचरों पर हस्ताक्षर करना व उनका भुगतान करना ।
7. संस्था के समस्त प्रकार के रिकार्ड व रजिस्ट्रों को तैयार करना कराना व उन्हें व्यवस्थित करना तथा उन्हें अपने संरक्षण में रखना ।
8. उपाधिकारियों व संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा करना ।
9. ऐसी स्थिति में जब प्रबन्धसमिति व साधारण सभा की बैठक बुलाई जाना सम्भव न हो संस्था के हित में आपातकालीन निर्णय लेना ।
10. संस्था के द्वारा संचालित समस्त अदालती कार्यावाहियों का संचालन करना ।
11. प्रबन्धसमिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
12. समस्त पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
13. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना ।
14. संस्था की उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करना !

स. कोषाध्यक्ष :

1. आय व्यय का मदवार व तिथिवार अंकन करना ।
2. संस्था के कोष की सुरक्षा करना ।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
4. संस्था का सखाना आडिट कराना ।

द. उपाध्यक्ष-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करना तथा सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना ।

य. उपप्रबन्धक/उपसचिव-प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्यों को करना तथा सामान्य स्थिति में उसका सहयोग करना ।



अध्यक्ष  
गोविन्द झा

राज्य-परिषद् शिक्षण

